Volume-11, No. 1 Feb.-2024, pp. Hin.25-32

समान नागरिक कानून के लिए संवैधानिक प्रावधान, बहस, निर्णय और संबंधित तथ्य

डा. वीरेन्द्र कुमार, अस्सिटेंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, डी.पी.बी.एस. पी.जी. कालिज अनूपशहर
बुलन्दशहर उत्तर–प्रदेश भारत।
चौ. चरनसिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत।

सार–
समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित समान नागरिक कानून भारत में लंबे समय से एक बहस का मुद्दा रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून विधेयक के पारित होने जैसे हालिया घटनाक्रम ने पुनः के मुद्दे को प्रकाश में ला दिया है। इस लेख का उद्देश्य समान नागरिक कानून का अर्थ, संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसके लाभ और चुनौतियाँ और आगे की राह को समझाना है। एक समान नागरिक संहिता एक ऐसे सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। इस कानून का लक्ष्य, न केवल समुदायों के बीच बल्कि एक समुदाय के भीतर भी कानूनों की एकरूपता को सुनिश्चित करना है।

समान नागरिक कानून के मुख्य अवयव

1. विवाह (Marriage)
2. तलाक (Divorce)
3. गुजारा–भत्ता (Maintenance)
4. उत्तराधिकार (Inheritance)
5. दत्तकग्रहण (Adoption)

समान नागरिक कानून मुख्य बिन्दू

1. यह कानून हिन्दू–मुस्लिम के वाद–विवाद सम्बंधित नहीं है।
2. यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों से भी परे कानून है।
3. यूनिफार्म की बजाय इसे 'कॉमन सिविल कानून' नाम दिया गया है।
4. इसलिए कानून के पक्ष–विपक्ष में चर्चा इसके प्रावधानों पर करनी चाहिए।
5. अतः यह स्पष्ट कानून है, जिसे उपरोक्त विषयों में नहीं उलझाना चाहिए।
6. यह एक प्रगतिशील–प्रोग्रेसिव कानून है।
7. विगत 75 सालों में जिन अधिकारों से महिलाओं और बच्चों को वंचित रखा गया है।
8. अतः इसका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
9. यह कानून लोगों के अधिकार छीनने का नहीं बल्कि लोगों को अधिकार देने से सम्बंधित है।
10. यह कानून सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

यह कानून कैसे भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है?

1. भारतीय संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि संविधान के इस हिस्से में निहित उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। फिर भी अगर संघ को लगता है कि देश का शासन चलाने के लिए इन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, तो वह ऐसा कर सकता है।
2. अतः इस आधार पर समान नागरिक कानून को सरकार बना सकती है क्योंकि यह इस सूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 44 में 'समान नागरिक

सहिंता' को समाहित किया गया है। इस प्रकार यह नीति–निदेशक तत्वों का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के अनुसार, The State (यानि भारत) shall endeavour to secure for the citizens an uniform civil code throughout the territory of india (यह पहले अनुच्छेद 35 हुआ करता था, बाद में इसे अनुच्छेद 44 के नाम से जाना गया)

3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर समानता का अधिकार प्राप्त है। यह हमारे राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सभी विषयों परदेश के प्रत्येक नागरिक का संरक्षण करें।
4. अनुच्छेद 15 के अनुसार देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
5. भारत के संविधान का Preamble यानि उद्देशिका में भी सामाजिक न्याय की बात कही गयी है। साथ ही अभिव्यक्ति, उपासना और विश्वास को स्वतंत्रता दी गयी है। यह कहता है, "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।"
6. संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच अधिकारों को परिभाषित करती है। इसके समवर्ती सूची में "विवाह और विवाह–विच्छेद, शिशु और अवयस्क, दत्तक–ग्रहण, विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुंब और विभाजन' जैसे विषय शामिल है। अतः इन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है।

अतः संविधान में निहित नीति–निर्देशक तत्वों, Preamble, मौलिक अधिकारों यानि Fundamental Rights के आधार पर 'समान नागरिक कानून' से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता।

क्या इस कानून से विभिन्न धर्मों के वैवाहिक रीति–रिवाजों पर असर पड़ेगा?

नहीं, समान नागरिक सहिंता से किसी भी धर्म, मजहब, पंत, संप्रदाय और मत के अपने–अपने रीति–रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वास्तव में नागरिक सहिंता के विरोध में इसी एक बिंदु को बढ़चढ़कर पेश किया जाता है। जबकि सच्च्चाई यह है कि देश के सभी धर्मों और उनके संस्कृति और रीति–रिवाजों पर समान सहिंता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मुसलमान 'निकाह', सिखों में 'आनंद कारज', हिन्दुओं में अग्नि के समक्ष फेरे और ईसाईयों में 'Holy Matrimony' इत्यादि वैवाहिक रीति–रिवाज सभी धर्मों की अपनी–अपनी मान्यताओं के अनुसार ही होंगे।

क्या यह कानून जनजातियों के रीति–रिवाजों को प्रभावित करेगा?

नहीं, समान नागरिक कानून से देश की किसी जनजाति के रीती–रिवाजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में, उनके तौर–तरीकों से इस कानून का कोई सम्बन्ध नहीं है। देश में उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार और संविधान सभा दोनों में व्यवस्था की गई है।

जनजातियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण के कानून इस प्रकार है :

1. अनुच्छेद 371(A) में नागा जनजातियों की सामाजिक एवं पारंपरिक परम्पराओं को संरक्षण मिला है। इसके अंतर्गत नागाओं की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं पर संसद का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा, जब तक नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करेगी।
2. अनुच्छेद 371(G) में मिजो जनजातियों की सामाजिक एवं पारंपरिक परम्पराओं को संरक्षण मिला है। इसके अंतर्गत मिजो लोगों की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं पर संसद का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा, जब तक मिजोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करेगी।
3. अनुच्छेद 338(A) में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान है। यह आयोग भी जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
4. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम

2006 भी संसद ने पारित किया है। इसके अंतर्गत भी वनों पर निर्भर जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक–प्रथागत अधिकारों को कानूनी संरक्षण दिया गया है।

5. भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों को घोषित किया गया है। पांचवीं अनुसूची में 10 राज्य हैं–छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। जबकि छठी अनुसूची में चार राज्यों– मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को शामिल किया गया है।
6. उपरोक्त पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) के नियम 4 के अनुसार इन राज्यों में राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जा सकती है। इस परिषद का कर्तव्य उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति सम्बन्धी सलाह दे सकती है।
7. छठी अनुसूची में उपरोक्त चार राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils & ADCs) की स्थापना की गयी है। इन क्षेत्रों में जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार दिया गया है।
8. आजादी के बाद हिंदू कोड बिल लाया गया। इसके चार अधिनियम हैं:

1. Hindu Marriage Act, 1955
2. Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956
3. Hindu Minority & Guardianship Act, 1956
4. Hindu Succession Act, 1956

These enactments are all pervading- Section 2 of these statutes-provides their application. However, sub&section (2) of section 2, excludes its application to the members of the Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government so directs- They are still governed by their customs.

अतः भारतीय संविधान में जनजातियों के उनके रीति–रिवाजों के संरक्षण के लिए दी गयी व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत की संविधान सभा का क्या मत था?

संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप–समिति के अधिकतर सदस्यों ने समान नागरिक कानून के जल्द–से जल्द लागू करने का प्रस्ताव रखा था। समिति के सदस्यों– एम. आर. मसानी, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने कहा, "We are of the view that a uniform civil code should be guaranteed to the Indian people within a period of 5 or 10 years in the same manner as the right to free and compulsory primary education has been guaranteed by clause 23 within 10 years.
(B- Shiva Rao, The Framing of India's Constitution, Volume II, p.177)

राजकुमारी अमृत कौर ने यह भी प्रस्ताव रखा कि समान नागरिक कानून को मौलिक अधिकारों में समाहित कर दिया जाये। उन्होंने यह बात संविधान सभा की एडवाइजरी कमेटी को पत्र लिखकर कही थी। संविधान सभा में 9 अप्रैल 1948 को हिन्दू सहिंता को प्रस्तावित करते समय रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था, "उत्तराधिकार के लिये और विवाह के सांप्रदायिक कानूनों का सांप्रदायिक विधान नहीं बल्कि एक–समान नागरिक सहिंता होनी चाहिए, जो सभी समुदायों, सभी वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। वास्तव में धर्म, पंथ, जाति के अनुसार विभेद किये बिना यदि यह सभी नागरिकों पर लागू होगी तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।"

हरि विनायक पाटस्कर ने 12 दिसंबर 1948 को हिन्दू कोड पर चर्चा के दौरान सभी के लिए समान नागरिक कानून का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा, "We have incorporated a Directive Principle in our Constitution that the State shall endeavour to secure a Uniform Civil Code throughout the territory of India. I would like you seriously to consider whether by enacting a measure like this (Hindu Code) only for the Hindus, we are advancing the cause of our progress towards the ideal. I should think that we are going backward rather than forwar what is to be welded in the interests of the security of our nation is not welding of Hindus alone but all the citizens of this country. All inhabitants of India should be welded into one. Marriage, inheritance etc. form part of civil code of all the countries world over. They must do so in India also. That code (civil) should be apply to all the citizens whether

they be Hindus. Christians or Parsis or Muslims."

अनुच्छेद 44 पर चर्चा करते समय डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने भी समान नागरिक कानून के पक्ष में बोलते हुए कहा था, "The only provinces which was not covered by a uniform civil code was marriage and succession. It was the intention of those who enacted Article 44 of the Constitution to bring about such a change." (Justice A.M. Bhattacharjee, Muslim Law and the Constitution, p. 169)

संविधान सभा ने विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन/धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण/पृथक निर्वचन समाप्त किया तो उस समय सी. सुब्रमणियम, जसपत राय कपूर और हंसा मेहता ने समान नागरिक कानून के पक्ष में अपने वक्तव्य दिये थे। 22 नवंबर 1949 हंसा मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा था, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते है तो हमारी एक नागरिक सहिंता हो।"

24 नवंबर 1949 को ए. थानु पिल्लई ने संविधान सभा में कहा, "If you wish to provide for a common civil code for India, that must be in consonance with modern advanced conceptions of life. Our women are free; our marriage laws are in consonance with the up-to-date concepts of social existence."

14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा (लेजिसलेटिव) में हिन्दू कोड पर चर्चा करते हुए वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई ने कहा, "In the Constitution we have said that we must evolve Common Civil Code."

प्रोविजनल पार्लियामेंट में जब हिन्दू कोड पर चर्चा हुई, तब भी कई सदस्यों ने 5 फरवरी 1951 को समान नागरिक कानून के पक्ष में अपने मत दिये थे। इसमें विनायक सीतारमण सरवटे, इंद्र विद्यावाचस्पति और जे. आर. कपूर जैसे नाम प्रमुख थे। फिर इसी हिन्दू कोड पर 7 फरवरी 1951 को चर्चा के दौरान सेठ गोविन्ददास ने भी समान नागरिक सहिंता का समर्थन किया।

अन्य राजनेताओं के समान नागरिक कानून के पक्ष में वक्तव्य

के. एम. मुंशी, "A further argument has been advanced that the enactment of a Civil Code would be tyrannical to minorities. Is it tyrannical? Now here in advanced Muslim countries the personal law of each minority has been recognised as so sacrosanct as to prevent the enactment of a Civil Code there is no reason why there should not be a civil code throughout the territory of India. There is one important consideration which we have to bear in mind-and I want my Muslim friends to realise this that the sooner we forget this isolationist outlook on life, it will be better for the country."

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, "The second objection was that religion was in danger, that communities cannot live in amity if there is to be a uniform civil code. The article actually aims at amity. It does not destroy amity. It is not as if one legal system is not influencing or being influenced by another legal system. Therefore, no system can be self&contained, if it is to have in it the elements of growth. There is no use clinging always to the past. We are departing from the past in regard to an important particular, namely, we want the whole of India to be welded and united together as a single nation."

डॉ. बी.आर. अंबेडकर, "I was very much surprised at that statement, for the simple reason that we have in this country a uniform code of laws covering almost every aspect of human relationship…… I can cite innumerable enactments which would prove that this country has practically a Civil Code, uniform in its content and applicable to the whole of the country. The only province the Civil Law has not been able to invade so far is Marriage and Succession."

शाह बानों प्रकरण

साल 1978 में एक बिना पढ़ी–लिखी मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम ने इंदौर के स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पति मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ एक गुहार लगायी। उस दौरान वह महिला 62 वर्ष की थी और उनकी शादी को लगभग 40 वर्ष बीत चुके थे। उनके पांच बच्चे भी थे। मगर उम्र के इस पड़ाव में शाह बानो को उनके पति ने तलाक दे दिया। जिसके बाद वह न्यायालय चली गयी, जहाँ उन्हें रू. 25 प्रतिमाह के गुजारा–भत्ता देने की फैसला सुनाया गया। इस फैसले से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने अधिक राशि की मांग के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

वहां उन्हें रू. 179.20 प्रतिमाह का गुजारा–भत्ता देने का निर्णय दिया गया। मगर उनके तलाकशुदा पति ने यह राशि देने से इंकार कर दिया और मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया। अप्रैल 1995 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसलें पर ही अपनी मुहर लगा दी।

यह फैसला पांच न्यायधीशों की खंडपीठ– जस्टिस वाय. वी. चंद्रचूड, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस डी.ए. देसाई, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस ई.एस. वेंकटरामैया ने सुनाया था।

शाह बानो को जब उसके पति ने तलाक दे दिया तो उसमें अपने गुजारे–भत्ते के लिए उच्चतम न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया था। जबकि उसके पति ने न्यायालय को बताया कि मुसलमानों पर धारा 125 लागू नहीं होती। हालांकि न्यायालय ने इस तर्क को नामंजूर कर दिया और कहा कि धारा 125 देश के सभी नागरिकों पर लागू होती है। इसका धर्म और निजी कानूनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। तब भी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को अनुच्छेद 44 की याद दिलाई थी। साथ ही कहा था कि यह एक दुखद बात है कि केंद्र सरकार ने अभी तक समान नागरिक संहिता बनाने पर कोई प्रयास नहीं किया। तब कोर्ट ने कहा था, "Article 44 of our Constitution has remained a dead letter. There is no evidence of any official activity for framing a Common Civil Code for the country. A common Civil Code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. It is the State which in charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country and, unquestionably, it has the legislative competence to do so. A beginning has to be made if the Constitution is to have any meaning."

मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कुछ गिने–चुने कट्टरपंथी–सांप्रदायिक लोगों के बहकावें में आकर उच्चतम न्यायालय के इस फैसलें को पलटने का निर्णय ले लिया। केंद्रीय कानून मंत्री **ए. के. सेन** ने फरवरी 1986 में एक विधेयक पेश किया। यह तो एक बात है कि यह विधेयक कांग्रेस ने अपने बहुमत के चलते पारित करवा दिया। मगर उन डिबेट्स को पढ़ने की जरुरत है जो उस दौरान हुई थी। इस बिल का विरोध साम्यवादी दलों ने भी किया था। उन्होंने तब एक स्वर में न सिर्फ महिला अधिकारों के लिए पुरजोर मांग की बल्कि समान नागरिक कानून लाने पर भी जोर दिया।

सी.पी.आई. (एम) के सैफुद्दीन चौधरी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, "This is a Black Bill- The heading of the Bill was also misleading. It was said that the Bill is to protect the rights of Muslim women. Actually the Bill is meant for deprivation of their rights. This Bill violated the Preamble of the Constitution wherein it was resolved that State shall strive to constitute India into a secular country."

12 बार लोकसभा सदस्य रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इन्द्रजीत गुप्ता ने भी इस विधेयक का विरोध किया और कहा, "We may not always be able immediately to have a Common Civil Code. There are difficulties. I understand that. But the Constitution says that should be the direction in which the State should move; not the opposite direction. It may take a long time to reach the Common Code. There may be many difficulties and obstacles. But this Bill asks you to reverse, turn around, and not move towards a Uniform Civil Code, but to go backwards."

अतः शाह बानों मामलें में उच्चतम न्यायालय सहित भारत के दोनों बड़े कम्युनिस्ट दलों– सीपीआई और सीपीआई (एम) दोनों समान नागरिक कानून के पक्ष में अपनी बात कह चुकें है।

अन्य प्रमुख न्यायिक फैसलें

1. साल 1973 में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एम.एच. बेग ने भी बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने और तलाक के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सिराफिश की थी। जबकि केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस वी. खालिद ने भी मार्च 1973 में मुसलमानों से अनुरोध किया था कि वे महिला अधिकारों की दिशा में सुधारों पर ध्यान दे।
2. साल 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में न्यायालय ने कहा, "Article 44 enjoins that the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Desirable as it is. the Government has

not been able to take any effective steps towards the realisation of this goal. Obviously, no Court can compel the Government to lay down a Uniform Civil Code even though it is essentially desirable in the interest of the integrity, and unity of the country."

3. 10 मई 1985 को उच्चतम न्यायालय ने Ms. Jordan Diengdeh vs S.S. Chopra मामलें में फैसला दिया, "Time has now come for the intervention of the legislature to provide for a uniform code of marriage and divorce as envisaged by Article 44 and to provide by law for a way out of the unhappy situations in which couples find themselves in. It is necessary to introduce irretrievably break & down of marriage, and mutual consent as grounds of divorce in all cases."
4. 10 मई 1995 को' सरला मुद्गल बनाम भारत संघ' में उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को भी अनुच्छेद 44 पर पुनः विचार करने के लिए कहा था। जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस **आर. एम. सहाय** की डिविजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, "Successive governments till date have been wholly remiss in their duty of implementing the constitutional mandate under Article 44 of the constitution of India." अपने इस ऐतिहासिक फैसलें के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्रालय अगस्त 1996 तक एक शपथपत्र दाखिल कर बताये कि केंद्र सरकार ने समान नागरिक सहिंता को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये है? साथ ही इस सन्दर्भ में प्रयासों को भी उल्लिखित करें।
5. 6 जुलाई 2015 को उच्चतम न्यायालय ने Abc vs- State (Nct of Delhi) मामलें में कहा, "It would be apposite for us to underscore that our Directive Principles envision the existence of a uniform civil code, but this remains an unaddressed constitutional expectation."

6- 13 सितंबर 2019 को Jose Paulo Coutinho vs. Maria Luiza Valentina Pereira के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने कहा, "It is interesting to note that whereas the founders of the Constitution in Article 44 in Part IV dealing with the directive principals of the state police had hoped and expected that the state shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territories of India, till date no action has been taken in this regard."

संसद में समान नागरिक कानून के पक्ष में प्रमुख प्रस्ताव

1. 11 मई 1962 को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद श्रीमति सीता परमानन्द ने एक निजी विधेयक पेश किया। उस विधेयक का शीर्षक था, "यूनिफार्म सिविल कोड फॉर द कंट्री"। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार को अनुच्छेद 44 के तहत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में सामान नागरिक सहिंता को लागू करने के प्रयास करने चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "The object of this article is to introduce a uniform personal law for the purpose of national consolidation. We are at present very much exercised over this question if national unity and national integration. Since fourteen years have been passed when this particular article was embodied in the constitution, it is time for the country to consider what steps should be taken to fulfil the promise made in this Directive Principle."
2. 29 जुलाई 1986 को केन्द्रीय विधि मंत्री एच. आर. भारद्वाज ने वादा किया था कि समान नागरिक कानून के प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए सरकार सरकार तेजी से प्रयास कर रही है।
3. 6 अगस्त 1993 को भाजपा सांसद सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में समान नागरिक कानून के पक्ष में एक बिल पेश किया, "This House urges upon the Government that in order to achieve the objectives enshrined in Article 44 of the Constitution and to promote feelings of unity and brotherhood amongst all citizens of the country a Commission be constituted for framing a Uniform Civil Code."
4. राजस्थान की मीणा जनजाति के नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी समान नागरिक सहिंता के पक्ष में एक निजी विधेयक पेश कर चुकें

है। उन्होंने यह विधेयक साल 2022 में राज्यसभा में पेश किया था।

सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों के सकारात्मक प्रयास

1. 1967 में भारतीय जनसंघ ने अपने मैनीफेस्टो में वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आते है तो वह समान नागरिक कानून पारित करेंगे। जनसंघ ने यह कानून विवाह, दत्तकग्रहण उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर बनाने की बात कही थी।
2. साल 1972 में महाराष्ट्र मुस्लिम विमेंस कांफ्रेंस का पुणे में आयोजन किया गया। महाराष्ट्र सहित कोलकता, दिल्ली, सूरत जैसे शहरों से आई लगभग 150 महिलाओं ने तब न सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई बल्कि एक स्वर में समान नागरिक संहिता का भी समर्थन किया। इस कांफ्रेंस की अध्यक्षता शरीफा तैयबजी ने की थी।
3. साल 1974 में छह मुस्लिम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद से मिला था। इस प्रतिनिधी मंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सहिंता होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसके अनुसार कहा गया कि, "The Directive Principle of the Constitution clearly lays down that the government of India shall strive for a common civil code for all the citizens of India."
4. 14 मई 1993 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार (तब कॉंग्रेस में थे) ने केन्द्रीय गृह मंत्री, एस. बी. चह्वान को पत्र लिखकर कहा कि राज्य की विधान परिषद समान नागरिक कानून के पक्ष में है। पवार के मंत्रिमंडल में वित्त एवं विधि मंत्री, रामराव अदिक ने कहा था– "All Congress members were in favour of Common Civil Code- However, a decision on the issue should be taken only when all sections of people and parties come together on the issue. Uniform Civil Code in no way interfered with the right to worship. Even Islamic countries had introduced reforms and provided greater protection to women."
5. 4 अगस्त 1995 कोकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) के महासचिव, हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि उनका राजनैतिक दल समान नागरिक सहिंता का समर्थन करता है।
6. साल 1995 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल ने समान नागरिक सहिंता के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था, "The ABKM heartily welcomes the historic judgment of the Supreme Court. emphasising the urgent national need to take immediate legislative steps for enactments of law on the Uniform Civil Code in accordance with the letter and spirit of Article 44 of our Constitution. The Apex Court has also directed the Central as well as State Govt, to indicate the steps taken by them within a time schedule specified by the Court. In contrast to the spontaneous approbation by all nationally conscious sections of society of the landmark judicial verdict, it is highly unfortunate that the attitude of the Central Govt. has been one of dillydallying and dubious in initiating steps to honour the same. The ABKM notes with appreciation the declarations of the Maharashtra State Govt. to go ahead in the light of the S.C.'s directive and the B.J.P. leadership's policy statement on similar lines. The ABKM urges upon all the members of the Parliament, irrespective of their party affiliations, to uphold the majesty of the judiciary and to set the process of legislative machinery in motion for enacting the long awaited legislation on the Uniform Civil Code for all the citizens of the country."
7. 'सरला मुद्गल बनाम भारत संघ' के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की National Executive ने उच्चतम न्यायालय के फैसलें का स्वागत किया। पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "Article 44 mandates that the State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India. We have today a paradoxical situation in the country where almost all

laws are applicable uniformly to all citizens. We have a common criminal law. We have common laws in relation to property, rent, commercial transactions and gift. However, we are permitting personal laws to be applicable to members of various religious denominations."

8. भाजपा के 1996, 1998, 2004, और 2009 में मैनीफेस्टो में भी समान नागरिक कानून के बारे में एक राय बनाने और उसे लागू करने के वादे किए जा चुकें है।
9. 10 जनवरी 2000 को अहमदाबाद में आयोजित संकल्प शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह (जनरल सेक्रेटरी) एच.वी. शेषाद्रि ने कहा था कि समान नागरिक सहिंता के संदर्भ में उच्चतम न्यायालयों के फैसलों को लागू करना चाहिए।

बहुविवाह को लेकर भारत सहित अन्य देशों में कानून

भारतीय मुसलमानों में बहुविवाह प्रचलन में है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे समाप्त करने का वादा किया था। 21 दिसंबर 1967 को केन्द्रीय विधि मंत्री, गोविंद मेनन ने लोकसभा में कहा, "संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार सरकार यह प्रयास करती रहेगी कि भारत में बहुविवाह प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाए।"

ऐसे देश जहां पर समान नागरिक कानून है–

इन देशों में टर्की, टयूनिशिया क्जाकिस्तान, इजराइल, अजरबेजान, उज्बेकिस्तान, रासिया, यू. एस. ए. थाईलैन्ड, ब्राजिल, जर्मनी, फ्रांस, स्वीटजरलैण्ड जैसे देशो में समान नागरिकता कानून लागू है वहां पर व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही है ।

निष्कर्ष–

सार्वजनिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में भारत की यात्रा के लिए समान नागरिक कानून एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता है। कुछ कमियों और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद, से अपार लाभ मिलने की संभावना है। लैंगिक समानता और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने से लेकर कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने तक, यूसीसी उत्पीड़ितों की रक्षा के साथ–साथ राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने का वादा करती है। भारत में समान नागरिक कानून की आवश्यकता भारत में समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की अनिवार्यता से उत्पन्न होती है।

मुख्य स्रोत्र–

1. समान नागरिक संहिताः उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय
2. समान नागरिक संहिता : भारत विधि आयोग के विचार
3. 21वाँ भारतीय विधि आयोग (अध्यक्षः न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान)
4. 22वाँ भारतीय विधि आयोग (अध्यक्षः न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी)
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
7. हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956
8. हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956